

मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा की 5 हजार मेगावाट क्षमता का अतिरिक्त आवंटन मांगा

केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने सौर ऊर्जा में राज्य के सराहनीय प्रदर्शन पर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया

जयपुर, 21 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी से मंगलवार को नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण एवं प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ा देने के लिए पी. एम. कुसुम योजना 2.0 के तहत 5 हजार मेगावाट क्षमता का अतिरिक्त आवंटन स्वीकृत करने का अनुरोध किया।

शर्मा ने जोशी को अवगत कराया कि प्रदेश में इस योजना के घटक-ए में अब तक 457 मेगावाट क्षमता के विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं तथा 3200 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कार्यदिश जारी कर दिए गए हैं।

केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि विगत डेढ़ वर्ष में किए गए राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्थान, पी. एम. कुसुम योजना के घटक-ए के क्रियान्वयन में



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल ने ऊर्जा मंत्री को बताया कि पी.एम. कुसुम योजना के घटक-ए में अब तक 457 मेगावाट के विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं व 3200 मेगावाट के कार्यदिश जारी हो चुके हैं।

देश में अग्रणी बना है। साथ ही, घटक-सी में विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की दिशा में तेजी से काम हुआ है, जो बेहद सराहनीय है। जोशी ने कुसुम 2.0 के तहत प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ा देने में केन्द्र सरकार की ओर से हर संभव सहयोग देने के लिए आश्वस्त किया।

एसआई पेपर लीक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में आरोपित महिला राधिका सिंह (31), निवासी मोती विहार पांच्यावाला करणी विहार को गिरफ्तार किया है, जो जयपुर ग्रामीण की स्पेशल ब्रांच में महिला कांस्टेबल के पद पर तैनात है। एसआई भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक के संबंध में साल-2024 में एसओजी थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि एसआई भर्ती परीक्षा से पहले राधिका सिंह ने अपनी बहन रेणु कुमारी के साथ मिलकर पुरुषोत्तम दाधीच से 14 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया और फिर परीक्षा से पहले लीक पेपर के प्रश्नोत्तर पढ़ कर लिखित परीक्षा दी। महिला कांस्टेबल राधिका

सिंह ने लिखित परीक्षा में हिन्दी विषय में 153.76 और सामान्य ज्ञान में 163.48 अंक कुल- 317.24 अंक प्राप्त किए लेकिन, इंटरव्यू में निर्धारित अंक प्राप्त नहीं होने से अंतिम रूप में एसआई पद के लिए चयन नहीं हो पाया। पुरुषोत्तम दाधीच के साथ मिलकर राधिका ने अपने परिचित प्रवीण कुमार खराड़ी, निवासी डूंगरपुर को भी लीक पेपर पढ़ वाया था। जिसका एसआई के पद पर चयन हुआ। एसओजी की ओर से मामले में आरोपी पुरुषोत्तम दाधीच और महिला कांस्टेबल की बहन रेणु कुमार को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। एसओजी की ओर से मामले में अब तक 54 ट्रेनी एसआई सहित कुल 122 आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के समाधान हैं। उन्होंने कहा थोड़ा अग्रिय तर्क देते हुए कहूंगा, हर समस्या का हल सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकता। देश की कई समस्याओं का हल सिस्टम में ही होता है। इस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पूछा, अगर राज्यपाल की निष्क्रियता को लेकर कोई राज्य सुप्रीम कोर्ट आता है, तो क्या न्यायिक समीक्षा पूरी तरह निषिद्ध है?

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह राज्यपाल की कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा पर नहीं, बल्कि यह मुद्दा उठा रहे हैं कि क्या कोर्ट राज्यपाल को कोई कार्य समय सीमा में करने का निर्देश दे सकती है।

सी जे आई गवई ने कहा, अगर कोई संवैधानिक पदाधिकारी बिना किसी कारण के अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, तो क्या इस

अदालत के हाथ बंधे हैं, तो एस जी ने उत्तर दिया हर समस्या का हल इस मंच पर नहीं हो सकता। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, अगर व्याख्या करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो फिर कानून की व्याख्या अदालत को ही करनी होगी।

एस जी ने कहा, न्यायिक समीक्षा एक बात है, लेकिन संविधान में शब्द जोड़कर उसकी व्याख्या करना अलग बात है।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने कहा, आप कहते हैं कि हम समयसीमा तय नहीं कर सकते, लेकिन कोई प्रक्रिया तो होनी चाहिए जिससे काम आगे बढ़ सके।

तुषार मेहता ने कहा, “माई लॉर्ड्स जिस बात से सही रूप में पीडित हैं, वह है समय-सीमा तय करने का औचित्य, लेकिन यह औचित्य न्यायालय को ऐसा करने का अधिकार

(अधिकार क्षेत्र) नहीं देता। हमारे पास ऐसे मामलों की बाढ़ नहीं है। हाँ, कुछेक राज्यों ने ऐसे मुद्दे उठाए हैं। अगर यही समस्या है, तो यह सही हो सकती है, लेकिन उसका समाधान संसद के पास है।

माई लॉर्ड्स ने भी कहा है कि इस पर संसद से अनुरोध किया जा सकता है, इसके मद्देनजर हम संसद से प्रार्थना करते हैं, लेकिन योअर लॉर्डशिप कोई आदेश नहीं देते, जज कभी भी किसी समकक्ष संवैधानिक पदाधिकारी को आदेश नहीं देते। यही है संवैधानिक शिष्टाचार।”

सॉलिसिटर जनरल ने पीठ को बताया कि संविधान में कम से कम 31 स्थानों पर स्पष्ट रूप से समय-सीमा का उल्लेख किया गया है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि उन कार्यों को समयबद्ध किया जाना आवश्यक है। जहाँ समय-सीमा नहीं दी गई है, उसे एक

सोच-समझकर किए गए एक्शन के रूप में देखा जाना चाहिए।

मेहता ने यह भी तर्क दिया कि अनुच्छेद 200 और 201 में समयसीमा का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए न्यायालय वहाँ समयसीमा नहीं जोड़ सकता।

एस जी ने यह भी कहा कि “तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में यह कहना कि राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत कोई विवेक नहीं है, शमशेर सिंह और नबम रेबिया जैसे केस में बड़ी बैंच के फैसलों के विपरीत है। बी के पवित्र में जो कहा गया कि राज्यपाल के पास राष्ट्रपति को बिल भेजने का विवेक है, उसे भी गलत ढंग से घोषित किया गया।

उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम नम्बुद्री केस में पांच-न्यायाधीशों की बैंच के निर्णय, जिसमें राज्यपाल को किसी विधेयक पर निर्णय देने का

आदेश देने से इंकार किया गया था, को भी नज़रअंदाज किया गया।

सॉलिसिटर जनरल ने सवाल उठाया, क्या संसद कल यह कानून पारित कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट 600 फ़नों से ज्यादा का फैसला नहीं लिखेगा? या फिर संसद ऐसा कानून बना दे कि अगर मुकदमा तय समय में पूरा नहीं हुआ, तो आरोपी को बरी मान लिया जाएगा?

सतीश गोलचा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को एस बी के सिंह के स्थान पर यह जिम्मेदारी दी गयी है। होम गार्ड के महानिदेशक सिंह को इसी महीने एक तारीख को दिल्ली पुलिस के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। गोलचा 1992 बैंच के पुलिस अधिकारी हैं और अभी महानिदेशक (जेल) के पद पर कार्यरत हैं।



आशीर्वाद और भरोसे के साथ कीजिए अपने नए सफ़र की शुरुआत! सीमित अवधि ऑफ़र्स।





6 Airbags | ESP® | ABS with EBD | Hill Hold Control* | Reverse Parking Sensors
3-Point ELR Seat Belts | Seat Belt Reminder | 3 Years or 100 000 km Warranty**

विशेष ऑफर

SWIFT ₹110 000* | BREZZA ₹45 000*
WAGONR ₹105 000*



SCAN TO
CONNECT
TO SHOWROOM
NEAR YOU



E-BOOK TODAY AT
WWW.MARUTISUZUKI.COM

Contact us at
1800-102-1800

T&C Apply Features and accessories shown may not be part of standard fitment. Black Glass Shade on the vehicle is due to the lighting effect. Images used are for illustration purposes only. Car color may vary due to printing on paper. Offers vary across variants. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to discontinue offers without notice. *Offer includes consumer offer, exchange bonus and institutional or rural offer (wherever applicable) on selected models/variants. Above mentioned savings amount is the value of maximum savings on selected models. Offer valid with selected financiers only. **3 years or 100 000 km whichever is earlier. Above offers are valid till 31* August, 2025. *Hill hold control feature available in select variants and models only. ESP is the registered trademark of Mercedes-Benz Group AG.

राष्ट्रदूत हिन्दू संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाइन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513 कोटा कार्यालय: पलायवा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय: कुम्भाना हाऊस, हनुमान हथ्या, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालोरा फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डीनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डीनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908